राजस्व आसूचना निदेशालय

घोषणा-पत्र

राजस्व आसूचना निदेशालय का घोषणा पत्र, जिसमें सारतः इसके कार्योद्देश्य समाहित हैं, अपनी स्थिति के अनुसार इसे देश की सर्वोच्च सीमाशुल्क खुफिया और अन्वेषण एजेंसी की तरह निरूपित करता है । निदेशालय निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करता है :-

- निषिद्ध माल, स्वापक पदार्थो की तस्करी, बीजकों में कम मूल्य दर्शाना, सीमाशुल्क संबंधी वाणिज्यिक कपट आदि के बारे में भारतीय तथा विदेशी स्रोतों से खुफिया सूचनाओं का संचयन ।
- उक्त आसूचनाओं का विश्लेषण और उन्हें क्षेत्र-कार्यालयों को भेजना ।
- प्राप्त खुफिया सूचनाओं पर, जहाँ आवश्यक हो, कार्रवाई करना ।
- महत्त्वपूर्ण अभिग्रहणों और अन्वेषण मामलों की प्रगति पर निगरानी रखना ।
- जिन अन्वेषणों में निदेशालय के विशिष्टीकृत कार्य-निर्वहण की ज़रूरत हो, उनमें निदेशालय द्वारा सहयोग दिया जाना या उन्हें अपने प्रबंधन में लेना ।
- महत्त्वपूर्ण अन्वेषणों / अभियोजनों के मामलों निगरानी करना ।
- विदेशी एजेंसियों के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना ।
- तस्करीरोधी मामलों में विदेशों, भारतीय मिशनों और विदेशीय प्रवर्तन एजेंसियों से सम्पर्क बनाए रखना।
- केंद्रीय जाँच ब्यूरो और इनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन (इंटरपोल) से सम्पर्क बनाए रखना ।
- भारत-नेपाल सीमा पर तस्करीरोधी संकार्य का समन्वयन और मार्गदर्शन करना ।
- केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो की मार्फ़त अन्य एजेंसियों के साथ खुफ़िया सूचनाओं / सूचनाओं का आदान-प्रदान करना।
- आइ.बी., एन.सी.बी., आयकर, सी.ई. आइ. बी., एस. एफ़.ओ., प्रवर्तन निदेशालय आदि अन्य भारतीय खुफिया / अन्वेषण एजेंसियों के साथ सम्पर्क बनाए रखना।
- अभिग्रहणों, अपराधों के सुराग मिलने, वाणिज्यिक कपटों और मूल्यों /दरों आदि से सम्बन्धित तारीख़ों / सांख्यिकी पर निगरानी रखना ।
- समुचित नीति की सिफारिश के लिए तस्करी / वाणिज्यिक कपट की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना ।
- कानून, नीति और संभावित बचाव-मार्गो की पहचान-प्रक्रिया का विश्लेषण करना और समुचित सिफारिशें देना ।